

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लाक-डी, भू-तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

Phone No. 0771-2263708, Fax No.-2262558, www.tribal.cg.gov.in, Email- ctd.cg@nic.in,
कमांक/133/रा.यु.उ.यो./2022-23/5312 नवा रायपुर दिनांक 09/09/2022

“संक्षिप्त विज्ञप्ति”

राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 के अंतर्गत

**छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु पात्र अभ्यर्थियों से
आवेदन पत्र आमंत्रण वर्ष 2022-23**

राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 के भाग (B) के तहत छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु राज्य में स्थित निजी कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए आवेदन पत्र का आमंत्रित किया जाता है।

- (1) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि – 05.09.2022, सायं 4.00 बजे तक
(2) आवेदन जमा करने का स्थान – संभागीय मुख्यालय के कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/सरगुजा/दुर्ग में जमा कर सकते हैं।

आवेदन पत्र एवं विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in से डाउनलोड कर अवलोकन किया जा सकता है। इस परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी यथा पात्र अभ्यर्थी, परीक्षा केन्द्र, परीक्षा परिणाम आदि सूचना विभागीय वेबसाइट से अभ्यर्थी प्राप्त करेंगे।

(श्रीमती शर्मिष्ठा आबिदी)
आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु सामान्य जानकारी
वर्ष 2022-23

- (1) **प्रशिक्षण की अवधि** – कोचिंग की अवधि अधिकतम 01 वर्ष होगी। इस प्रशिक्षण अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु कोचिंग प्रदान किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु चयनित होने पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु कोचिंग प्रदान किया जायेगा, जिसका व्यय योजना से वहन किया जायेगा।
- (2) **कोचिंग का स्थान** – चयनित संस्था द्वारा कोचिंग का कार्य जिला रायपुर एवं जिला दुर्ग मुख्यालय में सम्पन्न कराया जायेगा।
- (3) **योजनांतर्गत निर्धारित सीटे** – कुल 100 सीटे (ST-50%, SC-30%, OBC-20%) (प्रत्येक वर्ग में 33% महिलाओं के लिये आरक्षित)। जिला रायपुर हेतु 50 सीटे एवं जिला दुर्ग हेतु 50 सीटे निर्धारित है।
- (4) **निवास तथा जाति संबंधी पात्रता** –
 1. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
 2. आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाई जाति प्रमाण पत्र धारक हो।
 3. आवेदक भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित है अथवा नहीं, यह सिद्ध करने का दायित्व आवेदक का होगा एवं यदि इस संबंध में आवेदक द्वारा गलत विवरण प्रस्तुत किया जाता है तो उसे इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा।
- (5) **आयु** – 01.01.2022 को 20 वर्ष से 30 वर्ष।
- (6) **शैक्षणिक योग्यता** – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/कॉलेज से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किया हो।
- (7) **आय** – ऐसे आवेदक जिनकी स्वयं की आय या माता-पिता/पालक की आय रु. 3.00 लाख वार्षिक तक है, वे योजनांतर्गत संचालित प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (8) ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी शासकीय सेवा में कार्यरत हों, वे इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे।
- (9) चयनित अभ्यर्थियों को योजना का लाभ केवल एक बार ही दिया जायेगा।
- (10) **आवेदन जमा करना** – अभ्यर्थी संभागीय मुख्यालय के कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/सरगुजा/दुर्ग में आवेदन जमा कर सकता है।
- (11) **प्राक्चयन परीक्षा का स्वरूप** – प्राप्त आवेदन में पात्र अभ्यर्थियों से वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय (Objective type) प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र अधिकतम 03 घंटे का होगा, जिसमें न्यूनतम 100 तथा अधिकतम 150 प्रश्न पूछे जा सकेंगे। (छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के समतुल्य होगा)
- (12) **चयन** – अभ्यर्थियों का चयन प्राक्चयन परीक्षा के मेरिट के आधार पर किया जायेगा।
- (13) **आवेदन पत्रों का भरा जाना** – आवेदक का कर्तव्य होगा कि वह आवेदन पत्र में चाही गई समस्त जानकारी सही-सही देवे एवं संबंधित अभिलेख स्वयं के द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करें। अपूर्ण आवेदन एवं दस्तावेज पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जायेगा।
- (14) छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन के माध्यम से चयनित संस्था द्वारा शासन के निर्देशानुसार ही किया जायेगा।
- (15) **विस्तृत विवरण** – योजना के संबंध में विस्तृत विवरण तथा राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 विभागीय वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in पर उपलब्ध हैं, जिसे अवलोकन किया जा सकता है। उक्त योजना का संचालन राजीव युवा उत्थान नियमावली वर्ष 2019 के अधीन होगा।

(श्रीमती शम्मी आबिदी)
आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग.

**आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास छ0ग0 नवा रायपुर द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा
आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु**

आवेदन पत्र का प्रारूप वर्ष 2022-23

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास,
जिला - रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा एवं दुर्ग (छ0ग0)।

अभ्यर्थी का
पासपोर्ट
साइज फोटो

कार्यालयीन उपयोग हेतु
आवेदन पत्र क्र..... अनुक्रमांक.....

| क्र. | विवरण | जानकारी | | |
|------|---|------------------------------------|---------------|---|
| 01 | आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) (अंग्रेजी में) | | | |
| | | | | |
| 02 | पिता/पति का नाम | | | |
| 03 | पुरुष/महिला | | | |
| 04 | पता, पिन कोड सहित (पुनः नाम न लिखे) | | | |
| 05 | छ0ग0 का मूल निवासी है (हाँ/नहीं) (प्रमाण पत्र संलग्न करें) | | | |
| 06 | सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (ST/SC/OBC) (प्रमाण-पत्र संलग्न करें) | | | |
| 07 | जन्म तिथि (दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में आयु) | वर्ष..... | माह..... | दिन..... |
| 08 | क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में है (यदि हां तो किस पद पर किस कार्यालय में पदस्थ है) | | | |
| 09 | आवेदक के पिता का व्यवसाय (यदि शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा अशासकीय सेवा में है तो कार्यालय एवं पद का नाम) | | | |
| 10 | आवेदक की माता का व्यवसाय (यदि शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा अशासकीय सेवा में है तो कार्यालय एवं पद का नाम) | | | |
| 11 | परिवार की सभी स्रोतों से कुल आय (प्रमाण पत्र संलग्न करें) | | | |
| 12 | मोबाईल नं. | | | |
| 13 | शैक्षणिक योग्यता (स्वयं के सत्यापित अंक सूची संलग्न करें) | कक्षा | उत्तीर्ण वर्ष | प्राप्तांक का प्रतिशत |
| | | हायर सेकेण्ड्री | | |
| | | स्नातक परीक्षा | | |
| 14 | पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण किया हो तो उसका विवरण | प्रारंभिक परीक्षा वर्ष/रोल नंबर | उत्तीर्ण | मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष/रोल नंबर |
| 15 | क्या आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु युवा कैरियर निर्माण योजना के तहत पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त किया है (हाँ/नहीं) | | | |

घोषणा पत्र

मेरे द्वारा उपरोक्तानुसार कंडिका 01 से 15 तक में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास के आधार पर सही है। यदि उक्त जानकारी गलत/ त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर मेरे विरुद्ध की जाने वाली दण्डात्मक कार्यवाही के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम

आय हेतु स्वघोषणा प्रमाण पत्र

(10 रु. के नॉन ज्युडिशियल स्टॉप पेपर पर प्रस्तुत किया जाए)

(अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अ.पि.व. वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)

मैं पिता उम्र
निवासी ग्राम वि.खं., जिला यह शपथ पूर्वक घोषणा
करता हूँ -

1. मैंने आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास की राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा हेतु आवेदन किया है।
2. मैं छ.ग. राज्य द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य हूँ एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मेरे पास है।
3. मैं छ.ग. राज्य का मूल निवासी हूँ।
4. (i) आवेदक की कुल वार्षिक आय
(ii) पिता की आय (यदि शासकीय सेवक है तो)
(iii) माता की आय (यदि शासकीय सेवक है तो)
(iv) पिता यदि अन्य व्यवसाय में है, तो आय
(v) परिवार की कृषि से आय
(vi) कुल आय
5. मेरे परिवार की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय है।

उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 से 5 की जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास में सही है। यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो, मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

पालक के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम.....

दिनांक